

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

7-217 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/  
अपीलार्थी/रेस्पोंडेन्ट/पार्थी/अपार्थी/उभयपक्ष  
उपस्थित हैं/अनुपस्थित हैं। श्रीमान् पीठासीन  
अधिकारी भ्रमण पर हैं/अवकाश पर हैं/अन्य  
कार्यो में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है।  
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक...14-3-17...  
को पेश हो।

रीडर

14-317 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/  
अपीलार्थी/रेस्पोंडेन्ट/पार्थी/अपार्थी/उभयपक्ष  
उपस्थित हैं/अनुपस्थित हैं। श्रीमान् पीठासीन  
अधिकारी भ्रमण पर हैं/अवकाश पर हैं/अन्य  
कार्यो में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है।  
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक...9-5-17...  
को पेश हो।

रीडर

25-517 लैण्ड होल्डर के प्रतिनिधि उपस्थित हैं।  
रेस्पोंडेन्ट नाकजूद सूचना उपस्थित नहीं है।  
अतः कृपया पत्रावली दि० 9-5-17 को पेश करें।

रीडर

3-517 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/  
अपीलार्थी/रेस्पोंडेन्ट/पार्थी/अपार्थी/उभयपक्ष  
उपस्थित हैं/अनुपस्थित हैं। श्रीमान् पीठासीन  
अधिकारी भ्रमण पर हैं/अवकाश पर हैं/अन्य  
कार्यो में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है।  
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक...12-5-17...  
को पेश करें। राजस्व के व्यय मद्दकला पर पेश हो।

रीडर

2-5-2017 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत  
में पेश हुई। अपीलार्थी तहसीलदार गंगापूर सिटी  
उपस्थित हैं। रेस्पोंडेन्ट अनुपस्थित हैं।  
अपीलार्थी को सुना गया। प्रस्तुत अपील स्वीकार  
की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त  
किया जाता है। किस्तत निर्णय पृथक से लिखा  
जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली  
केवल श्रुति नम्बर से कम हो सब काद  
अपील दाखिल दफ्तर हो।

उप-जिला कलेक्टर  
गंगापूर सिटी

निर्णय न्यायालय श्री बाबूलाल जाट, आर०ए०एस०, उप जिला  
कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापूर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर

तारीख रजू

तारीख निर्णय

६/२०१५

१७.६.२०१५

१२.५.२०१७

तहसीलदार लैण्ड होल्डर गंगापूर सिटी

—अपीलार्थी

बनाम

रामोती पत्नी परसादी, मीना निवासी डिकोलीकलॉ तह० सपोटरा—रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध नामन्तरकरण संख्या २८९ दि० १२.७.२०१३ ग्राम महुखुर्द

स्थित :- तहसीलदार लैण्ड होल्डर गंगापूर सिटी

निर्णय

अपीलार्थी ने अपील इस आशय की पेश की है कि ग्राम महुखुर्द  
जमाबंदी सं० २०६६-६९ के खाता ९५ में ख०नं० २११ रकबा ०.३० है० विष्णुचंद  
गुप्ता पुत्र रामचरण लाल जाति महाजन निवासी कर्मचारी कॉलोनी गंगापूर  
सिटी खातेदार दर्ज है। खातेदार विष्णु चंद गुप्ता ने जरिए रजिस्टर्ड विक्रय  
पत्र संख्या १०११ दिनांक ४.११.०८ से रेस्पोंडेन्ट रामोती पत्नी परसादी मीना  
निवासी डिकोलीकलॉ तह० सपोटरा को ग्राम महुखुर्द के ख०नं० २११ रकबा  
०.३० है० में से १४९/३००० हिस्सा का विक्रय किया है जो भू खण्ड की श्रेणी  
में आता है जिसका पटवारी हलका महकलां ने नामान्तरकरण संख्या २८९  
दिनांक १२.७.१३ दर्ज किया है। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ  
३/६३/ राज०/गुप/२००९ दिनांक २८.४.११ एवं परिपत्र दिनांक २५.१०.२०१०  
से भूखण्डों के नामान्तरकरण दर्ज किए जाने पर रोक लगाई गई है। पटवारी  
हलका द्वारा उपरोक्त परिपत्र द्वारा भूखण्डों के नामान्तरकरण दर्ज करने पर  
रोक होने के उपरान्त भी भूखण्ड का नामान्तरकरण दर्ज किया है जो नियमों  
के विपरीत है तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त योग्य है। विक्रय किए  
गए भूखण्ड का उपयोग गैर कृषि कार्य में हो रहा है। उपरोक्त नामान्तरकरण  
की जानकारी भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक १८.७.१४ को कार्यालय में  
रिपोर्ट पेश करने पर आई। धारा ५ मियाद अधिनियम की दर० अपील के  
साथ संलग्न है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि ग्राम सालोदा का  
नामान्तरकरण संख्या २८९ दिनांक १२.७.२०१३ निरस्त फरमाया जावे।

3  
जिला कलेक्टर  
गंगापूर सिटी

लैण्ड होल्डर गंगापुर सिटी बनाम रामोती, अपील

( 2 )

अपील के समर्थन में अपीलार्थी ने नकल नामान्तरकरण संख्या 289 दिनांक 12.7.13, फोटोकॉपी विक्रय पत्र दिनांक 4.11.08, फोटोकॉपी नकल क्रमांक सं० 2066 से 2069, फोटोकॉपी परिपत्र क्रमांक एफ 3 (63) राज/सु-1/2009 दिनांक 28.4.2011 पेश की है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को तलब किया गया। रेस्पोंडेन्ट बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुआ।

बहस अपीलार्थी सुनी गई।

अपीलार्थी लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपनी अपील के अनुसार बहस करते हुए अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण खाली करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। विक्रय पत्र दिनांक 4.11.08 के अनुसार विष्णुचंद पुत्र रामचरण लाल गंगान निवासी कर्मचारी कॉलोनी तह० गंगापुर सिटी ने रेस्पोंडेन्ट रामोती पत्नी परसादी मीना निवासी डिकोलीकलॉ तह० सपोटरा को ख०न० 211 संख्या 0.30 हैक्टर ग्राम महुखुर्द में से स्वयं के हिस्से में से हिस्सा 148/3000 भूमि विक्रय की है। इस विक्रय का नामान्तरकरण संख्या 289 दिनांक 12.7.2013 पटवारी हलका द्वारा रामोती पत्नी परसादी के पक्ष में खोला गया है जो राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ 3 (63) राज/सु-1/2009 दिनांक 28.4.2011 के विरुद्ध खोला गया है एवं इस परिपत्र के अनुसार अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त होने योग्य है।

आदेश

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 289 दिनांक 12.7.2013 ग्राम महुखुर्द निरस्त किया जाता है। पालना अनु निर्णय की सत्यप्रति तहसीलदार गंगापुर सिटी को मूल नामान्तरकरण सहित प्रेषित की जावे।

पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.5.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( बाबूलाल जाट )  
उप जिला कलेक्टर  
गंगापुर सिटी  
गंगापुर सिटी